भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये — FIFTY RUPEES

रु.50 — Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH P 755210

मॉडल स्कूल उपयोग हेतु इकरारनामा

प्रथम पक्षकार: श्री प्रमोद ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बीजापुर

द्वितीय पक्षकार/उपयोगकर्ता : श्री प्रशांत कुमार :– प्राचार्य सह सहायक क्षेत्रीय निदेशक
डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, हुडको,
भिलाई (दुर्ग)
वास्ते डी.ए.वी. कॉलेज प्रबन्धन
समिति, नई दिल्ली

यह इकरारनामा/अनुबंध पत्र उभय पक्षकारगण आज दिनांक .... को स्थान बीजापुर में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार छ.ग. शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी है, जिसे कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किया गया है। शासकीय भूमि विकसित कर निर्माण कार्य मॉडल स्कूल तैयार किया गया है। यह मॉडल स्कूल बच्चों के उच्चगुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य ग्राम उल्लूर, पटवारी हल्का नं. 00009 तहसील भोपालपट्टनम एवं जिला बीजापुर (छ.ग.) स्थित भूमि खसरा क्र. 187/1 कुल रकबा 4.435 हेक्टेयर पर अनुमोदित नक्शे के तहत मॉडल स्कूल तैयार किया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित मॉडल स्कूल को द्वितीय पक्षकार को 30 वर्ष के लिए उपयोग के अधिकार के तहत प्रदान किया गया है। यह अधिकार दिनांक .... से होकर दिनांक .... को समाप्त होगी।
3. यह कि उक्त विद्यालय का किराया प्रति वर्ष अनुबंध की धारा 8.14 के अनुसार रु.100/– (रु. एक सौ रुपये) प्रति वर्ष देय होगा। द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष माह जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक किराया निम्नलिखित बैंक विवरण के अनुसार खाते में राशि जमा करेगा–

नाम — पंजाब नेशनल बैंक बीजापुर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

भारत

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH P 755209

आईएफसीकोड – PUNB0494900

4 यह कि, उक्त मॉडल स्कूल के सुरक्षा के एवज में द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार के पास अनुबंध की धारा 7.1.1 के अनुसार रू. 50,000/– (अक्षरी रू. पचास हजार मात्र) प्रति विद्यालय बतौर परफार्मेंस गारन्टी बैंक गारन्टी के रूप में जमा करेगा जो कि उपयोग का अधिकार संबंधित समाप्त किए जाने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार (डीएव्ही) को बिना ब्याज के वापस करेगा। बैंक गारन्टी का अवधि समाप्त होने पर इसे पुनः द्वितीय पक्षकार द्वारा पुर्नजीवित किया जाएगा।

5 यह कि, उक्त भवन में विद्युत मीटर लगा हुआ है, उसमें जितना भी बिल आएगा, उसकी अदायगी द्वितीय पक्षकार द्वारा की जाएगी। विद्युत मीटर में द्वितीय पक्षकार द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की जावेगी। अगर यदि ऐसा करता है तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्षकार की होगी।

6 यह कि, उपरोक्त विद्यालय भवन को द्वितीय पक्षकार किसी अन्य को उपकिराए या मार्डगेज या लीज पर नहीं देगा तथा विद्यालय भवन के स्वरूप में किसी प्रकार का रद्दोबदल एवं तोड़फोड़ अथवा नवनिर्माण सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमति के बिना नही करेगा।

7 यह कि, द्वितीय पक्षकार उक्त भवन में किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नही करेगा यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्षकार यानी द्वितीय पक्षकार (डीएव्ही) की होगी।

8 यह कि, उक्तानुसार अवधि समाप्ति पर उपयोग का अधिकार का यह अनुबंध स्वयमेव समाप्त हो जाएगा।

9 यह कि, प्रथम पक्षकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसमें द्वितीय पक्षकार (डीएव्ही) द्वारा पूरा–पूरा सहयोग प्रदान किया जावेगा।

10 यह कि, मॉडल स्कूल भवन वर्तमान में निर्माणाधीन है, तथा वकल्पिक व्यवस्था के तहत स्कूल किसी अन्य भवन में संचालित हो रहा है, उक्त भवन में हारा पंखा– 03 नग, ट्यूब लाईट– निरंक नग, सी.एफ.एल.– निरंक नग, सोडियम लाईट– निरंक, कॉल बेल– 02, फर्नीचर– 894, अलमारी– 02, स्टील रैक– 02 तथा संलग्न 09 पृष्ठ की दी गई सामग्रीयों की सूची चालू हालत में दिया जा रहा है, जो कि विद्यालय खाली करते समय चालू व दुरस्त हालत में लौटाया जाएगा।

DIRECTOR

11 यह की द्वितीय पक्षकार कभी मॉडल स्कूल का भू–स्वामित्व के अधिकार को चुनौती नही देगा।

आज दिनांक .... का स्थान बीजापुर (छ.ग) में उभय पक्षकारगण इस उपयोग हेतु जमीन का इकरारनामा को पढकर, पढवाकर, सुनकर, समझकर, स्वस्थ्य चित्त मन से बिना किसी डर, दबाव व प्रलोभन से अपना–अपना हस्ताक्षर, गवाहो की उपस्थिति में कर दिए ताकि सनद रहते वक्त जरूरत पर काम आवे।

स्थान – बीजापुर (छ.ग.)

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार / नोडल अधिकारी

District Education Officer
District Bijapur (C.G.)

दिनांक – ....

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार / डीएव्ही

ASSTT REGIONAL DIRECTOR
DAV PUBLIC SCHOOLS
MP & CG Zone-1
Hudco Bhilai

गवाह– 1 बी. एल. पुजारी

2 Shiv Kumar Goyal

प्राधीकृत उपयोगकर्ता से संबंधित प्राफार्मा

द्वितीय
पक्षकार का
वर्तमान फोटो

1.	मोहल्ले का नाम	:–	जी.ए.डी. कॉलोनी
2.	वार्ड का नाम	:–	जी.ए.डी. कॉलोनी, वार्ड क्र. 1
3.	प्रथम पक्षकार का नाम	:–	प्रमोद ठाकुर
4.	थाने का पता	:–	पुलिस थाना बीजापुर
5.	मकान का पूर्ण पता.	:–	जी.ए.डी. कॉलोनी, मकान नं – F1 जिला बीजापुर (छ.ग.)
6.	द्वितीय पक्षकार का नाम,	:–	श्री प्रशांत कुमार
	पिता का नाम	:–	डॉ. जी.एन. सहाय
	उम्र, जाति, साथ रह रहे परिवार	:–	54 वर्ष, कायस्थ
	के सदस्यों के नाम, उम्र	:–	श्रीमती सुब्रता कुमार, पत्नी, 49 वर्ष
7.	फोन/मोबाईल नं.	:–	9893247951, 0788–2241802
8.	द्वितीय पक्षकार का स्थायी पता	:–	क्वा. नं. 11 बी, सडक न. 6 सेक्टर 9
		:–	भिलाई जिला दुर्ग छ.ग.
		:–	
9.	द्वितीय पक्षकार पूर्व में अन्य स्थान पर	:–	नहीं
	उपयोग के अधिकार के तहत् संस्था	:–	
	संचालित किए हैं तो उस संस्था	:–	
	का पता, फोन/मोबाईल नं.		
10.	यह संस्थान में कब से संचालित है।	:–	नहीं
11.	द्वितीय पक्षकार का व्यवसाय/नौकरी के	:–	शिक्षण
	स्थान का पूर्ण पता, फोन नं.	:–	प्राचार्य, डी.ए.व्ही पब्लिक स्कूल भिलाई
12.	स्थायी पते पर द्वितीय पक्षकार को	1. :–	श्रीमती मंजू शर्मा
	पहचानने वाले का नाम	2. :–	श्रीमती सिन्धु मिश्रा
		3. :–	श्रीमन् डी. तेजस

ASSTT REGIONAL DIRECTOR
[illegible] SCHOOLS

13	द्वितीय पक्षकार के वाहन का प्रकार एवं पंजीयन क्रमांक	—	मारुति अरटिगा छ.ग 07 बी.ए. 5181
14	किसी सामाजिक संस्था के सदस्य है क्या? यदि हाँ तो संस्था का विवरण	—	नही
15	द्वितीय पक्षकार के सदस्य पर अपराधिक मामला दर्ज है? यदि हाँ तो सदस्य का नाम तथा दर्ज अपराध का विवरण, थाने का नाम	—	नही

उद्घोषणा

मै सत्यापित करता / करती हूँ कि, उपरोक्त विवरण मेरी जांनकारी में सत्य एवं पूर्ण है।

हस्ताक्षर

प्रथम पक्षकार
District Education Officer
District Bijapur (C.G.)

द्वितीय पक्षकार
ASSTT. REGIONAL DIRECTOR
DAV PUBLIC SCHOOLS
MP & CG Zone-1
Nudco Bhilai

गवाह

1. बी. एल. पुजारी

2. Shiv Kumar Goyal